

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-2181(1)/सोलह-2-2024
लखनऊ: दिनांक: 03-09-2024

श्री मनीष यादव पुत्र श्री महावीर यादव,
कैथाला ईशापुर, बुलन्दशहर,
50प्र0-223408

कृपया शासन के पत्र संख्या-पी0एस0सी0-41/सोलह-2-2022 दिनांक 22-07-2022 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 28-08-2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29-04-2021 में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त के संबंध में आपके द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के यू-राइज पोर्टल (urise.up.gov.in/) पर उपलब्ध कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 29-04-2021 में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित सत्यापन पत्र एवं स्व घोषणा पत्र संबंधित सूचना भरकर 07 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। यदि उक्त निर्धारित अवधि में आपके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर आपका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि प्रभारी यू-राइज पोर्टल, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।